

प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांत	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
शंकरलाल पुत्र तेजाजी जाति माली निवासी बेरा सादुला जुंजाणी रोड भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी भीनमाल
प्रकरण अपील		SI /2017
कम्प्यूटर आई.डी		2017/00114

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

29.12.2017

अपीलांत व राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी का जवाब जरिए ई मेल प्राप्त हुआ।

अपीलांत द्वारा अपील में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पोस्टल आर्डर संख्या 16 जी 131981 के संलग्न आवेदन पत्र के द्वारा चाही गई सूचना निशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी भीनमाल) द्वारा व्यक्त किया गया कि अपीलांत का आवेदन पत्र 20.11.2017 को प्राप्त हुआ। अपीलांत द्वारा आवेदित सूचना बाबत प्रत्युत्तर कार्यालय स्तर से निर्धारित समयावधि के भीतर भिजवा गया है। अपीलांत द्वारा निर्धारित समयावधि पूर्व ही अपील पेश की गई है। अतः अपील की खारिज की जावे।

हमने लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी भीनमाल) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराये गये प्रत्युत्तर पत्रांक/सू.अ.अ. /17/5533 दिनांक 18.12.2017 का अवलोकन किया। अपीलांत/प्रार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 121/58 निर्णय दिनांक 10.02.1958 के संबंध सूचना में चाही गई।

सूचना का अभिलेख काफी पुराना होने से खोजबीन की गई परंतु बावजूद प्रयासों के उपलब्ध नहीं होने से चाही गई सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होने बाबत राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांत को सूचित किया गया है। इस प्रकार राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी भीनमाल) ने अपीलार्थी को द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में दिया गया प्रत्युत्तर विधीवत है। अपीलांत को आवेदित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

अपीलांत को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।


(बी.एल.काठारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर) जालोर